ई-मेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

संख्या- 1/2016/6-पु0-15-2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-15 लखनऊ: दिनांक: 08, मार्च, ~~फरवरी~~, 2016

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले आवेदकों की सुरक्षा के संबंध में।

महोदय,

आपको विदित है कि शासन एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन से निश्चित रूप से शासन एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि अधिनियम के प्राविधानों के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों को भ्रष्ट तत्वों द्वारा धमकाया जा रहा है ताकि वे सूचना मांगना बन्द कर दें। कुछ मामलों में इन भ्रष्ट तत्वों द्वारा आवेदकों पर हिंसात्मक हमले भी किये गये है तथा सूचना मांगने वाले कतिपय आवेदकों की हत्या भी हुई है। इसलिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सफल कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक हो गया कि इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों के प्रति हो रहे हिंसात्मक हमलों को रोका जाय एवं आवेदकों को सुरक्षा प्रदान की जाय।

--2--

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले आवेदकों के विरूद्व हिंसात्मक हमले करने तथा आवेदकों को धमकाने वाले तत्वों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने एवं सूचना मांगने वाले आवेदकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को उनके अर्ध शासकीय पत्र संख्या-22/मु0सू0आ0/कैम्प/2016, दिनांक 05-02-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।